नगर पालिक निगम भिलाई

प्रधानमंत्री आवास योजना

सबके लिये आवास मिशन (शहरी)

प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिये आवास मिशन

1. **योजना प्रारंभ तिथि – अगस्त 2015**

2. **योजना के चार घटक हैं :–**

- BLC (Beneficiary Led Construction : व्यक्तिगत आवास निर्माण) '
- AHP (Affordable Housing in partnership : भागीदारी मे किफायती आवास)
- ISSR (InSitu Slum Redevelopment : स्वस्थाने स्लम पुनर्विकास)
- CLSS (Credit linked Subsidy Scheme : ब्याज से जुड़ी ऋण सब्सिडी योजना)

नोटः– वर्तमान में नगर पालिक निगम भिलाई में BLC एवं AHP दो ही योजना क्रियान्वित है।

3. **नवीन डी.पी.आर. की स्थिति :–**

1. AHP – अभी नया डी.पी.आर. की मांग सूडा से नहीं किया गया है।
2. BLC – सूडा से डी.पी.आर. जमा करने के निर्देश पर नियुक्त वास्तुविदों से शिविर लगाकर दस्तावेज लेकर एवं समय–समय पर निगम कार्यालय में जमा किये गये दस्तावेजों के आधार पर डी.पी.आर. तैयार करते हैं।
3. ISSR – डी.पी.आर. तैयार हुआ था (1. घासीदार नगर 2. मॉडल टाउन) परन्तु इस पर स्वीकृति नहीं मिली। यह योजना वर्तमान में लागू नही है।
4. CLSS – यह बैंक से संबंधित है। रूपये 18.00 लाख तक के ऋण प्राप्तकर्ता को रू. 2.67 लाख तक अधिकतम सब्सिडी बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है। योजना मार्च 2022 से क्रियान्वित नहीं है।

पात्रता की सामान्य शर्ते

(सभी के लिए आवश्यक है)

रू. 100.00 का शपथ पत्र जिसमें :–

- निवासी प्रमाण पत्र 31 अगस्त 2015 से पूर्व का।
- भारत में कहीं भी पक्का मकान न हो।
- हितग्राही के परिवार की सालाना आय 3.00 लाख से अधिक न हो।

टीपः– निवासी प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र या वंशावली (तहसीलदार या राजस्व विभाग से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र), इनमें से कोइ एक

BLC 'मोर जमीन–मोर मकान' कार्य योजना

(Beneficiary Led Construction : व्यक्तिगत आवास निर्माण)

यह कार्य पूर्णतः हितग्राही आधारित योजना है।

आवश्यक दस्तावेजः–

- हितग्राही के स्वयं के भूमि की सत्यापित प्रति। (पट्टा, निजी भूमि स्वामित्व, आबादी पट्टा)
- हितग्राही के भूमि का क्षेत्रफल 18 वर्ग मी. (194 वर्ग फीट) से कम न हो।
- हितग्राही के बैंक–खाते के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति (जनधन/निराश्रित खाता न हो)
- परिवार (माता–पिता और अविवाहित बच्चे) के पूरे सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति।
- हितग्राही के दो पासपोर्ट साइज फोटो।

2. **वास्तुविद कार्यप्रणालीः–** आवेदन प्राप्त करने, डी.पी.आर. तैयार करने एवं स्वीकृति उपरांत कार्य प्रारंभ कराना, तकनीकी सहायता करना, मकान का नक्शा/अनुज्ञा देना, चार स्तर पर भुगतान प्रस्तुत करना होता है, जियो टैग करते हुए पोर्टल में भेजना, देयक प्रस्तुत करना आदि कार्य।

वास्तुविदों को प्रति आवास हेतु 6150.00 रू. भुगतान का विवरणः–

प्रथम चरण :– डीपीआर, नक्शा एवं प्लिंथ स्तर पर	द्वितीय चरण :– लिंटल स्तर पर/भू–तल छत स्तर पर	तृतीय चरण :– पूर्ण स्तर पर	योग
2550.00 रू.	1200.00 रू.	2400.00 रू.	6150.00 रू.

प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिये आवास मिशन

3. **डी.पी.आर. स्वीकृति प्रक्रियाः–** वास्तुविद द्वारा सर्वे उपरांत हितग्राहियों का सत्यापन, PMAY MIS पोर्टल एन्ट्री (ऑनलाइन), तकनीकी परीक्षण, पात्र हितग्राहियों की सूची सत्यापन, सत्यापन उपरांत डी.पी.आर. तैयार कर स्वीकृति हेतु सूडा कार्यालय को प्रेषित, → SLNA (State Level Nodal Agency) → SLAC (State Level Appraisel Comittee) → CSMC (Centeral Sanctioning Monitering Comittee) → SLSMC (State Level Sanctioning Monitering Comittee) उपरांत डी.पी.आर. की स्वीकृति हेतु आदेशित होने पर हितग्राहियों को MIS Attachment कर हितग्राहियों का नक्शा एवं भवन अनुज्ञा वास्तुविद द्वारा वितरण कर विषय विशेषज्ञों द्वारा आवास प्रारंभ कराया जाता है।

प्रगतिः–

क्र.	स्वीकृत आवास	प्रगतिरत आवास			योग	पूर्ण आवास
		फाउण्डेशन स्तर	लिंटल स्तर	रूफ स्तर		
1	5115	43	72	22	137	4978

4. **BLC भुगतान प्रक्रिया –** चार चरण में जियो टैग पश्चात् – हितग्राहियों को भुगतान पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से किया जाता है।

चरण	केन्द्रांश	राज्यांश	भूतल स्वीकृत	प्रथम तल सहित स्वीकृत
प्रथम चरण	25 %	25 %	प्लिंथ स्तर	प्लिंथ स्तर
द्वितीय चरण	35 %	35 %	लिंटल स्तर	भूतल छत निर्माण स्तर
तृतीय चरण	20 %	30 %	छत निर्माण स्तर	प्रथम तल छत निर्माण स्तर
चतुर्थ चरण	20 %	10 %	फिनिशिंग होने पर	फिनिशिंग होने पर

प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिये आवास मिशन

5. सूडा से राशि प्राप्त :–30 % शेष होने पर मांग/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने पर राशि प्राप्त होता है।

केन्द्र शासन अंशदान	राज्य शासन अंशदान (अधिकतम)	हितग्राही अंशदान (अधिकतम)	योग
1.50 लाख	0.79 लाख	0.86 लाख	3.15 लाख

AHP कार्य योजना (भागीदारी मे किफायती आवास)

- **AHP कार्य योजना :–** यह कार्य व्यवस्थापन तथा किरायेदारों आधारित योजना है। निजी कॉलोनीनाइजरों से प्राप्त 15% EWS भूमि से प्राप्त भूमि पर बहुमंजिला आवास निर्माण का कार्य किया जाता है। वर्तमान में 18 हेक्टयर भूमि के 14 स्थलों पर कुल 3709 नग बहुमंजिला आवास निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

- **डी.पी.आर. स्वीकृति प्रक्रियाः–** वास्तुविद द्वारा HFAPOA (Housing For All Palining of Action) सर्वे उपरांत हितग्राहियों का चयन कर, 15% EWS भूमि पर डी.पी.आर. तैयार कर स्वीकृति हेतु सूडा कार्यालय को प्रेषित, SLNA (State Level Nodal Agency) → SLAC (State Level Appraisel Comittee) → CSMC (Centeral Sanctioning Monitering Comittee) → SLSMC (State Level Sanctioning Monitering Comittee) उपरांत डी.पी.आर. की स्वीकृति हेतु आदेशित होने पर निविदा प्रकिया उपरांत न्यूनतम दर पर कार्य अनुबंधित निर्माण एजेंसीयो द्वारा बहुमंजिला आवास निर्माण का कार्य किया जाता है।
- **PMC (Project Managment and Consultancy) कार्यप्रणाली** :– PMC Engineer & Staff के माध्यम से बहुमंजिला आवासों के सम्पूर्ण अनुश्रवण एवं मुल्यांकन (Monitring and Evalulation) कार्य किया जाता है। बहुमंजिला आवासो का प्रगति अनुसार देयक प्रस्तुत कर निरीक्षण उपरांत भुगतान हेतु नस्ती प्रस्तुत किया जाता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिये आवास मिशन

अ. मोर मकान–मोर चिन्हारी

पात्रता हेतु आवश्यक शर्तेः–

नगरीय निकाय, शासकीय नजुल, वन क्षेत्र एवं राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रमों की भूमि पर स्थित स्थायी गंदी बस्ती में निवासरत पात्र हितग्राही। जिसे निकाय द्वारा योजना के क्रियान्वयन के समय हटाकर व्यवस्थापन किया जावेगा।

केन्द्र शासन अंशदान	राज्य शासन अंशदान	हितग्राही अंशदान	कुल योग
1.50 लाख	2.50 लाख	0.75 लाख	4.75 लाख

ब. मोर मकान–मोर आस (किरायेदार हेतु)

पात्रता हेतु आवश्यक शर्तेः–

निगम क्षेत्रान्तर्गत निवासरत् आवेदक हेतु–

- परिवार (माता–पिता और अविवाहित बच्चे) के पूरे सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति।

केन्द्र शासन अंशदान	हितग्राही अंशदान (न्यूनतम)	कुल योग	आवेदन पत्र मूल्य
1.50 लाख	3.25 लाख	4.75 लाख	100.00 रू.

अधिक्तम 10 सामान्य किश्तों में राशि जमा कराया जाना है।

प्रगतिः–

क्र.	स्वीकृत आवास	प्रगतिरत आवास			योग	पूर्ण आवास	अप्रारंभ
		फाउण्डेशन स्तर	स्ट्रक्चर	फिनिशिंग			
1	3709	620	24	1756	2400	1253	56

प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिये आवास मिशन

<u>आबंटन की प्रक्रिया</u> :–

1. समाचार पत्रों के माध्यम से आवेदन पत्र वितरण हेतु सूचना जारी की जाती है।
2. आवेदन पत्र का वितरण 100 रू. शुल्क में किया जाता है।
3. आवेदकों द्वारा समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर आवेदन पत्र आवास शाखा में जमा किया जाता है। परीक्षण उपरांत पात्र/अपात्र की दावा आपत्ति सूची जारी की जाती है।
4. दावा आपत्ति उपरांत पात्र आवेदको का निकाय स्तर समिति (आयुक्त, नोडल अधिकारी, राजस्व अधिकारी, लेखाधिकारी) के द्वारा अनुमोदन पश्चात् जिला कार्यालय में जिला स्तरीय समिति (महापौर, आयुक्त, अनुविभागीय अधिकारी, नोडल अधिकारी) से अनुमोदन प्राप्त कर कलेक्टर महोदय द्वारा स्वीकृति प्राप्त की जाती है।
5. स्वीकृति उपरांत आवेदकों को प्रथम किश्त की 10% की राशि जमा करने हेतु सुचना पत्र जारी किया जाता है। आवेदक द्वारा राशि जमा उपरांत लॉटरी के माध्यम से चयनित स्थलों पर आबंटन की जाती है।
6. वरिष्ठ/विकलांग आवेदकों के लिये भूतल का आवास सुरक्षित रखा गया है।

प्रगति आबंटन एवं व्यवस्थापन

क्र	स्लम अंतर्गत जानकारी				मोर मकान– मोर आस (किरायेदार)			
	चयनित आवास	आबंटित आवास	आबंटन हेतु शेष	आधिपत्य	चयनित आवास	आबंटित आवास	आबंटन हेतु शेष	आधिपत्य
1	628	555	73	282	2989	1443	1546	338

धन्यवाद